

न्यायालय उपरपठ्य अधिकाारी को (कासिम (अलवर)
अर्चना पत्र सं० ५/२०२१
हरिओमसिंह बनाम जीतमसिंह

२१/०/२१ अर्ची मय वलील उपर अर्चना पत्र २५/११/२१ को तहत
पेश किया। अर्चना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।
अर्चना पत्र को जरिये RAO नोटिस से तलब किया
जावे। भायन्दा फावली दिनांक १७/०/२१ को पेश हो।

१२/६/२१ अर्ची अर्चना उपर वास्ते RAO तलबी पत्रावली दिनांक
०१/१/२१ को पेश हो।

२०/१/२२ पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली
का निस्तारण नहीं होने से आईन्दा
पत्रावली न्यायालय हाजरा में दिनांक २०/१/२२
को पेश हो।

एस डी ओ/ रीडर

२१/३/२२

पत्रावली पेश/पत्रावली वलील ६/११/२१ उपर पत्रावली वास्ते तलबी
दिनांक २१/३/२२ को पेश हो।

२२/३/२२ पत्रावली पेश हुई। अर्ची अर्चना उपर वास्ते RAO तलबी पत्रावली
दिनांक २६/३/२२ को पेश हो।

२६/३/२२ पत्रावली पेश २३/३/२१ अर्ची अर्चना अर्चना/बार-बार आवान लगवर्त
जाने पर भी पेशी पर कोई उर्वन्धित नहीं। पेशी के आभाव में अर्चना पत्र
अदालत हाजरी, अदालत-पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली अंततः
मुद्रांक होकर नम्बर से क्रम हो तथा बाद तकमील लेख भण्डार हो।